वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.400.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.4(1)वित्त/कर/2000–318 दिनांक 30.3.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि कुटुम्ब के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित व्यवस्थापन विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाकर ऐसे विलेख द्वारा व्यवस्थापित सम्पति के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : "कुटुम्ब सदस्य" से व्यवस्थापनकर्ता का पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पुत्रवधु अभिप्रेत है।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10–96]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.401.– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा किसी महिला स्वयं सहायता समूह, चाहे ऐसा स्वयं सहायता समूह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग/एजेन्सी से सम्बद्ध हो अथवा नहीं, के सदस्य द्वारा ऐसे समूहों के भीतर ऋण अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित पारस्परिक करार के दस्तावेज पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार करती है।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10–97]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.402.– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान राज्य के भीतर जाति प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए आवेदन के संबंध में अपेक्षित शपथपत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का इसके द्वारा परिहार करती है।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10–98]

राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.403.- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि अकृषिक उधार के प्रयोजन के लिए किसी बैंक या वित्त कम्पनी के पक्ष में निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप अथवा साम्यापूर्ण बंधकों से संबंधित करार या किसी अन्य दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस को अधिकतम 25,000 रु. के अध्यधीन 1 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम 25,000 रु. के अध्यधीन 0.1 प्रतिशत किया जायेगा।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-99]
राज्यपाल के आदेश से,

वैभव गालरिया,
शासन उप सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 9 मार्च, 2010

एस.ओ.404.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.2(72)वित्त/कर/2006-46 दिनांक 12.9.07 में, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "भूमि के अर्जन" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के लिए निष्पादित" के पूर्व अभिव्यक्ति "या क्रय" अन्तःस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "थर्मल पावर संयंत्र" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "बशर्ते परियोजना की पूंजी लागत" के पूर्व विद्यमान अभिव्यक्ति "(कैप्टिव पावर संयंत्र को छोड़कर)" हटायी जायेगी।

यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

[एफ.12(22)वित्त/कर/10-100]
राज्यपाल के आदेश से,